इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525] भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर 2022—आश्विन 2, शक 1944

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2022

आदेश

फा. क्र. 10-क-चार-निरर्हित-2022-211.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 76-MP-LA-2018-WS-I-17567, दिनांक 26 जुलाई, 2022 जिसके द्वारा आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत् विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2018 में **69-सेमरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिला रीवा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामलौटन चौधरी—निर्दलीय जो कि अपने निर्वाचन का कोई भी व्यय लेखा समय से दाखिल न करने के कारण ''संसद के किसी भी सदन या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए'' उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए निरर्हित घोषित किया है को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 2022—30 आषाढ़, 1944 (शक)

आदेश

सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2018-पश्चिम-I.—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66-2018, दिनांक 06-10-2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11-12-2018 थी.

और, यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और, यत:, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **69-सेमरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11-12-2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख 10-01-2019 थी.

और, यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश के दिनांक **19-01-2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/15-रीवा-2019-931** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा जिला, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक **17-01-2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामलौटन चौधरी,** मध्यप्रदेश के **69-सेमरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

और, यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा जिला, मध्यप्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रामलौटन चौधरी,** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **31-07-2019** को जारी किया गया था;

और, यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **31-07-2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रामलौटन चौधरी,** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और, यत:, उक्त नोटिस उनके द्वारा 17-08-2019 को प्राप्त किया गया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** द्वारा दिनांक **28-09-2020** के पत्र संख्या **539/15/निर्वा./ES/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और, यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** द्वारा अपने दिनांक **28-09-2020** के पत्र सं. **539/15/निर्वा./ES/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रामलौटन चौधरी,** ने आज की तारीख तक मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है.

और, यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रामलौटन चौधरी,** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और, यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:—

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है. दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **69-सेमरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी, **श्री रामलौटन चौधरी, निवासी ग्राम-डढिया, पोस्ट-कुशवार, तहसील-सेमरिया, जिला रीवा (म. प्र.)** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-

(अमित कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 22nd July, 2022—30 Ashadh, 1944 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-2018-WS-I.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06-10-2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11-12-2018.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND, WHEREAS, the result of **69-Semariya** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11-12-2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10-01-2019.

AND, WHEREAS, as per the report dated **17-01-2019** submitted by the District Election Officer, **Rewa** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh *vide* letter No. **10-A/Four/Elec. Expenditure Account/15-Rewa/2019/931 dated 19-01-2019, Shri Ramlotan Chaudhari,** contesting **Independent** candidate from **69-Semariya** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND, WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Rewa** District, Madhya Pradesh, a Show Cause Notice dated **31-07-2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Ramlotan Chaudhari,** for non submission of accounts of Election expenses;

AND, WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **31-07-2019, Shri Ramlotan Chaudhari,** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND, WHEREAS, the said notice was received by **him** on **17-08-2019.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Rewa** *vide* his letter No. **539/15/Elec./ES/2020 dated 28-09-2020.**

AND, WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rewa** *vide* his letter No. **539/15/Elec./ES/2020** dated 28-09-2020, it has been stated that **Shri Ramlotan Chaudhari,** has not submitted statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date.

AND, WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Ramlotan Chaudhari,** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND, WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

Now THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ramlotan Chaudhari,** resident of **Village-Dadhiya, Post-Kushvar, Tehsil-Semariya, Distt-Rewa, (M. P.),** the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **69-Semariya** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.